त्वरति सुधारात्मक कारवाई

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

क्या है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया एक गुणात्मक उपकरण है जिसके तहत बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये कमज़ोर बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है जो इन्हें अत्यधिक नुकसान से बचाता है।
- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक कमज़ोर और संकटग्रस्त बैंकों पर आकलन, निगरानी, नियंत्रण और सुधारात्मक कार्रवाई के लिये कुछ सतर्कता बिंदु आरोपित करता है।

PCA के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंध

- PCA के तहत दो प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं- अनिवार्य और विवेकाधीन। लाभांश, शाखा विस्तार, निदेशकों के मुआवज़े पर प्रतिबंध अनिवार्य हैं, जबकि विवेकाधीन प्रतिबंधों में उधार और जमा पर प्रतिबंध शामिल हैं।
- इसके तहत किसी इकाई या क्षेत्र के लिये बैंक की ऋण सीमा को सीमित किया जा सकता है।
- अन्य सुधारात्मक कार्रवाइयों के तहत विशेष लेखा परीक्षा, परिचालनों का पुनर्गठन और वसूली योजना को सक्रिय करना आदि शामिल हैं।
- बैंक के प्रमोटरों को भी नए प्रबंधन को लाने के लिये कहा जा सकता है।
- PCA के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक के बोर्ड को भी हटा सकता है।

PCA के उद्देश्य

- भारतीय रिज़र्व बैंक इन दिशा-निर्देशों को इसलिये लागू करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों की वित्तीय स्थिति बिगड़ने न पाए तथा बैंक खुद को व्यवस्थित करने के लिये तत्काल लागू किये गए उपायों का पालन करें।

PCA का इतिहास

- इसे पहली बार तब प्रस्तुत किया गया जब 1980-90 के दशक में वित्तीय संस्थाओं की विफलता के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी हानि हुई।
- भारत में पहली बार वर्ष 2002 में रिज़र्व बैंक के गवर्नर बिमल जालान के कार्यकाल में इसे प्रस्तुत किया गया और अप्रैल 2017 में रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इसके नियमों को और कड़ा कर दिया।

PCA के तहत तीन जोखिम सीमाएँ और उनसे संबंधित सुधारात्मक कार्रवाई

- **जोखिम सीमा-1:** लाभांश पर प्रतिबंध, विदेशी बैंकों के मामले में प्रवर्तक/मालिक/मूल कंपनी पूंजी (भारत) लाएँ।
- **जोखिम सीमा-2:** जोखिम सीमा-1 की अनिवार्य कार्रवाई के साथ देश/विदेश में शाखा विस्तार पर प्रतिबंध तथा कवरेज अवधि के दौरान उच्चतर प्रावधान।
- **जोखिम सीमा-3:** जोखिम सीमा-1 की अनिवार्य कार्रवाई के साथ देश/विदेश में शाखा विस्तार पर प्रतिबंध तथा प्रबंधन को मुआवजा और निदेशकों की फीस पर प्रतिबंध।
- इसके अतिरिक्त तीनों जोखिम सीमाओं में विवेकाधीन कार्रवाई भी विनियामक द्वारा की जाएगी।

PCA के अंतर्गत रखे गए बैंक

- सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों को अभी PCA के अंतर्गत रखा गया है।
- इन बैंकों में देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं।

PCA लागू करने हेतु मापदंड

बैंकों को निम्नलिखित 4 मापदंडों के आधार पर PCA के योग्य माना जाता है-

1. **कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो (CRAR)/कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1):** जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) अथवा कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) अनुपात के भंग होने पर बैंकों को संकटग्रस्त माना जाता है और PCA को सूचित किया जाता है।

- यदि किसी बैंक का CRAR + लागू CCB 10.875% से 8.375% के बीच हो अथवा उसकी CET-1 + लागू CCB 7.375% से 5.750% के बीच हो तो उसे पहली जोखिम सीमा में रखा जाता है।
- यदि किसी बैंक का CRAR + लागू CCB 8.375% से 6.875% के बीच हो अथवा उसकी CET-1 + लागू CCB 5.750% से 4.250% के बीच हो तो उसे दूसरी जोखिम सीमा में रखा जाता है।
- यदि किसी बैंक की CET-1 + लागू CCB 4.250% से नीचे हो तो उसे तीसरी जोखिम सीमा में रखा जाता है।
- यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान न्यूनतम निर्धारण में CRAR और CET-1 के साथ लागू कैपिटल कंज़र्वेशन बफर (CCB) को भी जोड़ा जाता है जो कि वर्तमान में 1.875% है तथा जो 31 मार्च, 2019 को 2.5% होगा।

2. **गैर-निष्पादनकारी संपत्ति (NPA):** यदि खराब ऋणों के कारण NPA का प्रतिशत 6% से अधिक हो जाता है तो बैंक को संकटग्रस्त मानकर PCA के तहत रखा जाता है।

- यदि किसी बैंक का NPA अनुपात 6% से 9% के बीच है तो उसे पहली जोखिम सीमा में रखा जाता है।
- यदि किसी बैंक का NPA अनुपात 9% से 12% के बीच है तो उसे दूसरी जोखिम सीमा में रखा जाता है।
- यदि किसी बैंक का NPA अनुपात 12% या इससे अधिक है तो उसे तीसरी जोखिम सीमा में रखा जाता है।

3. **परिसंपत्तियों पर लाभ (ROA):** यह कुल संपत्ति पर कर घटाने के बाद लाभ के प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित होता है। यदि परिसंपत्तियों पर रिटर्न 0.25% से नीचे है तो उसे PCA के तहत रखा जाता है।

- यदि किसी बैंक को लगातार 2 वर्षों तक नकारात्मक ROA मिलता है तो उसे पहली जोखिम सीमा के तहत रखा जाता है।
- यदि किसी बैंक को लगातार 3 वर्षों तक नकारात्मक ROA मिलता है तो उसे दूसरी जोखिम सीमा के तहत रखा जाता है।
- यदि किसी बैंक को लगतार 4 वर्षों तक नकारात्मक ROA मिलता है तो उसे तीसरी जोखिम सीमा के तहत रखा जाता है।

4. **लीवरेज अनुपात:** यह जोखिम उपायों की तुलना में पूंजी उपायों की माप है। यदि टियर-1 का लीवरेज अनुपात 4% से कम है तो उसे PCA के तहत रखा जाता है।

- यदि किसी बैंक का टियर-1 लीवरेज अनुपात 4% से कम तथा 3.5% से अधिक अथवा टियर-1 पूंजी के 25 गुना से अधिक लीवरेज हो तो उसे पहली जोखिम सीमा में रखते हैं।
- यदि किसी बैंक का टियर-1 लीवरेज अनुपात 3.5% से कम हो अथवा टियर-1 पूंजी के 28.6 गुना से अधिक लीवरेज हो तो उसे दूसरी जोखिम सीमा में रखते हैं।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/quick-corrective-action